

कार्यालय आदेश संख्या :- 809 /NG/2019/Engg./SPJ

निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रबन्धक, पटना के पत्रांक- RRC/ECR/GP1800/02/2018/Resa दिनांक-03.07.2019 के अनुसार ट्रेक मेंटेनर-IV, (इंजी०) लेवल-01 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य पाये गये हैं एवं विधिक विहितता श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, के द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र स्वीकार करने के उपरान्त अस्थायी नियुक्ति इनके नाम के पद अधिकतम पद, वेतन लेवल, वेतन एवं स्टेशन/इकाई पर की जाती है:-

अभ्यर्थी का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	पिता का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	समुदाय	विक्रिस्ता श्रेणी, प्रमाण पत्र सं०, एवं दिनांक	पदस्थापना पर लेवल-01 में वेतन निर्धारण	पदनाम एवं पदस्थापित युनिट/स्टेशन
ABHISHEK KUMAR RAJAK	SAKHLAL BAITHA	04.05.1997	SC	Fit for A-3 & below with DV glasses by ACMS/SPJ No-187/1187 Dt-30.05.19	₹18000/-	TM-IV Unit SSP/B, Wazirpur




अभिषेक कु० राजक

Abhishek K. Rajak

हस्ताक्षर (हिन्दी)

हस्ताक्षर (अंग्रेजी)



पहचान चिह्न: 1. A cut mark left thumb
2. A Cut mark on the right knee

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

LTI/RTI(in case of Female Candidate)

इन्हें समय-समय पर स्वीकार्य भत्ता देय है। वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा जहाँ नियुक्त पद पर प्रशिक्षण आवश्यक होगा, वहाँ संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था अभ्यर्थी को सम्मिलित होना होगा।

इनाकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होगी जो एक अस्थायी कर्मचारी पर लागू होती हैं। यदि वेतन के दौरान प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जान पर सत्यापन समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें प्रादेशिक सेवा के रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक सेवा में 06 वर्षों तक सैन्य सेवा करनी होगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के अधिनियम (RFY/III/2003/PN-1/24 दिनांक 31.12.2003 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक 01.01.2004 से लागू हुई पेंशन योजना एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से शासित होगी।

(चन्द्र किशोर)
सहायक कार्मिक अधिकारी - II
समस्तीपुर
दिनांक 08.08.2019

शिक्षा: का/227/आरआरसी पैनेल/सम/इंजी./2019
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. तमलिपि/सम०
2. तमई(समन्वय)
3. संबंधित समई
4. संबंधित बसेई(रेल पथ)
5. वर्याधी/एम०पी०पी०-- वे कृपया इसे समस्तीपुर मंडल के वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
6. अभिलेख हेतु
7. मुकामाधी पास-- कृपया उक्त कर्मचारी के पक्ष में समस्तीपुर से पदस्थापना स्थल तक कार्य योगदान हेतु योग्य पास जारी करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित कर्मचारी
9. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयू,ओबीसी एवं अज्ञा-अज्ञा/रेशो/सम०

सहायक कार्मिक अधिकारी - II
समस्तीपुर